

फर्द अहकाम

2022/1145

न्यायालय - उप-खण्ड अदालत  
जयपुर (दिल्ली)

कैलाश च शर्मा

बनाम - मानविकी के तहत

मुकदमा संख्या/वर्ष

151 / 2022

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०जी० साहब अन्य राज्यों का यह फैसला है। अतः पत्रावली पूर्णतः अकार्यवाही दिनांक 15/11/22 को पेश हो।</p>
	15/11/22	<p>पी०जी० साहब का फैसला है। अतः पत्रावली अकार्यवाही दिनांक 24/11/22 को पेश हो।</p>
	02/02/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकीलजी का अर्चिवरता अनुपस्थित। वकीलजी व वकीलजी अर्चिवरता को न्यायालय संकेत समाप्त तक बार-बार आज्ञा लावाई गई। बार-बार आज्ञा लाया है उपरान्त भी वकीलजी का अर्चिवरता अनुपस्थित रहे।</p> <p>पत्रावली का अर्चिवरता किया गया। पत्रावली वापस जारी दिनांक 10.06.22 को जारी किया गया। तब तक भी तलबी प्रस्तुत नहीं किया है। इससे पूर्व में भी अर्चिवरता दिनांक 16/08/23 द्वारा विचारपत्रिका जारी है उपरान्त भी तलबी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः पत्रावली वापस ले लिया गया। पूर्ण नदी को जारी है तथा आज्ञा लाया है। अर्चिवरता अनुपस्थित है अतः वापस वकीलजी का अर्चिवरता जारी है। अतः पत्रावली को अर्चिवरता किया जा रहा है। पत्रावली फाइल शुद्ध होकर दर्ज करने के लिए है। वापस तलबी 24/11/22 को पेश हो।</p>

उप-खण्ड अदालत  
जयपुर (दिल्ली)